पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत अंचल–बिहटा के सोन नदी पर पटना सोन बालू घाट–14 में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

दिनांक 25.09.2020 को जनता प्राथमिक विद्यालय, परेव, थाना–बिहटा, जिला–पटना में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा मेसर्स परेव कंस्ट्रक्शंस एल.एल.पी. पटना को निर्गत टी0ओ0आर0 पत्र संख्या–SIA/1(a)/1098/2020, दिनांक 22.07.2020 के आलोक में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। श्री विनायक मिश्र, अपर जिला दण्डाधिकारी (सा0), पटना (जिलाधिकारी, पटना द्वारा मनोनीत) के द्वारा इस लोक–सुनवाई की अध्यक्षता की गयी।

उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांकः 22.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना के पदाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति लोगों एवं सभी सम्बन्धित सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व लोक सुनवाई कराने की आवश्यकता के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि इस बालू खनन योजना से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में लोगों के सुझाव या आपत्ति प्राप्त किया जायेगा।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बालू खनन योजना की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, इन्वायरमेंटल मैनेंजमेंट प्लान एवं कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रेस्टपॉन्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। सलाहकार द्वारा बतया गया कि गीली बालू का परिवहन नहीं होगा, बालू का परिवहन तिरपाल से ढ़क कर किया जायेगा ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बालू खनन योजना में सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन किया जायेगा। बरसात के मौसम में खनन कार्य बंद रहेगा। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् परियोजना लागत का 2 प्रतिशत स्थानीय सुविधा एवं विकास के कार्यो में खर्च किया जायेगा। इसके उपरांत

लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों से इस परियोजना के आलोक में पर्यावरण से संबंधित संभावित प्रभावों के नियंत्रण एवं निवारण हेतु सुझाव/आपत्ति आमंत्रित किये गये, जो निम्नवत् है :–

1. श्री मिथिलेश कुमार, परेव द्वारा खनन कार्य में संलग्न कामगारों के लिए ठहराव का सेड की व्यवस्था करने तथा सड़कों के नियमित रूप से मरम्मति सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया।
2. श्री पारस नाथ साह, परेव द्वारा बालु घाट के आस–पास शौचालय की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। साथ ही बालु के निकासी के क्रम में सड़कों पर आवागमन रूक जाता है जिसके कारण एम्बुलेन्स आदि आपात व्यवस्था भी अवरूद्व हो जाता है। इसलिए सड़कों पर यातायात अवरूद्व न होने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
3. श्री राजेश्वर यादव, परेव एवं श्री सुरेन्द्र चौबे, परेव द्वारा धूलकंणों की समस्या के निराकरण हेतु व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।

लोक–सुनवाई के समापन से पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित लोगों के द्वारा सक्रिय भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए बताया गया कि बालू खनन परियोजना से संभावित कुप्रभावों के नियंत्रण हेतु लीजधारक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय प्रबंध योजना के तहत् बताये गये सभी कार्य करेंगे। लोगों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोवीड–19 प्रभाव से बचने के लिए योजना में जुड़े सभी लोगों को सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग एवं मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा जो प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बालु घाटों पर अन्य कचड़ो यथा–प्लास्टिक, मास्क आदि के उचित तरीके से संग्रहण एवं निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही बताया गया कि सी.ई.आर. के तहत् होने वाले व्यय को स्थानीय लोगों के अनुसार करना चाहिए। इस खर्च का अनुश्रवण भी होना चाहिए, ताकि इसका सद्उपयोग हो।

लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों को इस प्रस्तावित खनन योजना की स्वीकृति की अनुशंसा करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मनोरंजन कुमार सिंह) सहायक वैज्ञानिक पदा0 बि0रा0प्र0नि0पर्षद्	(एस.पी.राय) पर्यावरण अभियंता बि0रा0प्र0नि0पर्षद्	(विनायक मिश्र) अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना

<u>उपस्थिति सूची</u>

मेसर्स पारेव कंस्ट्रक्शंस एल.एल.पी. द्वारा पटना जिला, अंचल- बिहटा के सोन नदी पर सोन घाट- 14 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 25.09.2020 (शुक्रवार) को 02:30 बजे अपराह्न में जनता प्राथमिक विद्यालय, परेव, थाना-बिहटा, जिला-पटना में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	विनायक मिश्र	अपर जिला दण्डाधिकारी पटना	[signature] 25/09/2020
2.	एस० पी० राय	पर्यावरण अभियंता बि० रा० प्र० नि० पर्षद	[signature] 25-9-20
3.	मनोरंजन कुमार सिंह	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	[signature] 25-9-20
4.	मनीष कुमार	Environment Consultant	[signature]
5.	कुन्दन कु० शर्मा	Environ Consultant	[signature]
6.	कुलदीप यादव	परेव	कुलदीप यादव
7.	रमेश कुमार	परेव	रमेश कुमार
8.	राजेश्वर यादव	परेव	राजेश्वर यादव
9.	पारसनाथ साव	परेव	पारसनाथ साव
10.	तारकेश्वर यादव	परेव	तारकेश्वर यादव
11.	सूरज कुमार	परेव	सूरज कुमार
12.	नंद कुमार	परेव	नंद कुमार
13.	पप्पु यादव	परेव	पप्पु यादव
14.	नरेश प्रसाद	परेव	नरेश प्रसाद
15.	कामता यादव	परेव	कामता यादव
16.	भोला सिंह	परेव	भोला सिंह
17.	समीर कु०	परेव	[signature]
18.	जितेन्द्र कुमार	परेव	[signature]
	बनारसी यादव	परेव	[signature]

19.	बनारसी यादव	परेव	[signature]
20.	सदानन्द सिंह	परेव	सदानन्द सिंह
21.	मिथलेश कुमार	परेव	मिथलेश कुमार
22.	गोविन्द सिंह	परेव	गोविन्द सिंह
23.	सुजीत कुमार	परेव	सुजीत कुमार
24.	जितेन्द्र सिंह	परेव	[signature]
25.	राधामोहनसिंह	परेव	[signature]
26.	अनिल	परेव	कुमार
27.	दीपक कुमार	परेव	कुमार
28.	देवेन्द्र कुमार	परेव	देवेन्द्र कुमार
29.	विनोद कुमार	परेव	विनोद कुमार
30.	रंजीत कुमार	परेव	रंजीत कुमार
31.	Ranchir ku	परेव	[signature]
32.	Santosh Kumar	Pareo	Santosh
33.	Sameer Kumar	Pareo	
34.	Mohit . Kumar	Pareo	[signature]
35.	सूरज कुमार	परेव	[signature]
36.	मुकेश कुमार	परेव	[signature]
37.	Anish Kumar	Pareo	Anish
38.	राम बाबू चौधरी	परेव	[signature]
39.	मोहित कुमार	परेव	मोहित
40.	Manoj Kumar	Pareo	manoj
41.	ROHIT KUMAR	PAREO	ROHIT KUM
42.	Ramesh Kumar	Pareo	Ramesh

43.	देवेन्द्र कुमार	परेव	देवेन्द्र
44.	Sunil Kumar	Pareo	[illegible]
45.	राज देव कुमार	परेव	राजदेव कुमार
46.	प्रदीप प्रसाद	परेव	[illegible]
47.	मोहन साव	परेव	मोहन
48.	सोनू कुमार	परेव	सोनू कुमार
49.	मुन्ना प्रसाद	परेव	मुन्ना प्रसाद
50.	[illegible]	परेव	[illegible]
51.	Vinod kumar	Pareo	Vinod kr
52.	Manu kr.	Pareo	Manu kr
53.	Sonu kr.	Pareo	Sonu kr
54.	राजू कुमार	परेव	राजू कुमार
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			